फारम संख्या–12

नीलाम–उद्घोषणा

(नियम–25 देखें)

कार्यालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)।

(आम नीलामी की सूचना)

सर्टिफिकेट संख्या–**01/2013–14**, जिसके अधीन **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना** (सर्टिफिकेटधारी) और **श्री सुनील कुमार**, पिता–स्व0 रंग बहादुर सिंह, स्थायी पता–बसौर, थाना–भगवानगंज, अंचल–मसौढ़ी, प्रो0 दुर्गा राईस मिल, किश्तीपुर, धनरूआ (सर्टिफिकेट देनदार) हैं।

चुँकि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में अनेको बार सर्टिफिकेट देनदार श्री सुनील कुमार, प्रो0 दूर्गा राईस मिल, किश्तीपुर, धनरूआ के विरूद्ध दायर नीलाम पत्र वाद में सन्निहित बकाया राशि, खर्च एवं ब्याज सहित चुकाने हेतु नोटिस तामिला करायी गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के क्रम में दिनांक–28.02.2017 एवं 13.08.2018 को पारित समादेश में प्रमादी मिलरों को प्राप्त अनाज के बदले बकाया राशि के समतुल्य बैंक गांरटी/Pledge जमा करने आदेश दिया गया था। तत्संबंधी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना (अधियाची पदाधिकारी) द्वारा इस न्यायालय को संसूचित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सर्टिफिकेट देनदार द्वारा प्राप्त अनाज के बदले बकाया राशि के समतुल्य बैंक गांरटी/Pledge जमा नही किया गया है।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार–उड़ीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांड्स रिकवरी एक्ट), 1914 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आदेश दिया जाता है कि सर्टिफिकेटधारी के दावे की रकम चुकाने के लिए सर्टिफिकेट देनदार के निम्न वर्णित संपत्ति/भूमि को उल्लेखित लाटों (टुकड़ों) में आम नीलाम के जरिये विक्री कर दी जाए। वसूलनीय राशि खर्च और ब्याज सहित मो0–**2,96,13,740.97 (दो करोड़ छियानवे लाख तेरह हजार सात सौ चालीस रूपये एवं सनतानवे पैसे)** मात्र होता है।

नीलाम की जाने वाली भूमि का ब्योराः–

1. जमाबंदी संख्या–382 एवं 388, मौजा/थाना संख्या–वसौर/247
2. जमाबंदी रैयत का नामः– मो राजमनी देवी, पति–स्व0 रंगबहादुर सिंह एवं श्री अरविन्द कुमार वो सुनील कुमार, पिता–स्व0 रंगबहादुर सिंह

क्र0सं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)	क्र0सं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
1	37	480	कुल रकवा 2.25.5 जमाबंदी संख्या–382	11	210	831	कुल रकवा 56.5 डी0
2	189	267		12	321	634	
3	190	268		जमाबंदी संख्या–388 जमाबंदी रैयत का नामः– अरविन्द कुमार वो सुनिल कुमार, पिता–स्व0 रंगबहादुर सिंह			
4	195	310					
5		313					
6		274					
7		302					
8		269					
9		335					
10		333					

यदि नीलाम स्थगित करने का कोई आदेश न दिया जाए तो नीलाम तारीख **10.01.2020** को समयः– **02:30** बजे अपराहन में **अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, मसौढ़ी** में किया जाएगा।

यदि नीलाम किसी लॉट में हथौड़ा पड़ने (डाक बोल समाप्त होने) के पहले उपबंध ऋण और नीलाम–खर्च प्रस्तुत किया जा चुका दिया जाय तो नीलाम रोक दिया जाएगा।

नीलाम में आम जनता को, स्वयं या यथावत् प्राधिकृत एंजेट की मारफत, डाक बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, नीलाम को और शर्ते नीचे दी जाती हैः–

नीलाम की शर्ते

(1) सर्टिफिकेट अफसर ने निम्न अनुसूची में उल्लिखित ब्योरे, यथासंभव अपनी जानकारी के अनुसार ही दिए हैं, फिर भी यदि इस उद्घोषणा में कोई भूल, गलत विवरण या छुट रह गई हो, तो वह इसके लिए जिम्मेवार न होगा।

Scanned by CamScanner

(2) डाक की बोल की रकम कहाँ तक बढ़ाई जाय, इसका निश्चय नीलाम संचालित करने वाला पदाधिकारी करेगा। यदि डाक–बोली की रकम या डाक बोलने वाले व्यक्ति के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो लाट को फिर से तुरंत नीलाम किया जाएगा।

(3) सबसे अधिक डाक बोलने वाला व्यक्ति लाट का खरीददार घोषित होगा, बशर्ते वह डाक बोलने के लिए विधितः (कानूनन) योग्यता रखता हो। यदि नीलाम में प्रस्तावित रकम नीलाम करने वाले पदाधिकारी को स्पष्टतः अपर्याप्त मालूम हो, तो उचित जॉचने पर अपने विवेक से वह सबसे अधिक रकमवाली डाक को भी अस्वीकृत कर सकेगा।

(4) नीलाम संचालित करने वाले पदाधिकारी अपने विवेक से लिखित कारण देकर नीलाम को स्थगित कर सकेगा, किन्तु ऐसा करने में वह हमेशा बिहार और उड़िसा लोक मॉग–वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांड्स *रिकवरी एक्ट), 1914 की अनुसूची 2 के नियम 28 के उपबंधों के अधीन रहेगा।*

(5) चल संपत्ति की दशा में हरेक लाट मूल्य नीलाम के समय या उसके बाद शीघ्र ही, जैसा कि नीलाम करने वाला पदाधिकारी निदेश दे, चुका दिया जाएगा। भुगतान न करने पर संपत्ति तुरंत फिर से नीलाम पर चढ़ा कर बेच दी जाएगी।

(6) अचल संपत्ति की दशा में, जो व्यक्ति खरीददार घोषित किया जाए, ऐसी घोषणा के बाद तुरंत खरीद–रकम का 25 प्रतिशत् नीलाम संचालित करने वाले पदाधिकारी के पास जमा कर देना होगा। जमा न करने पर संपत्ति तुरंत फिर से नीलाम पर चढ़ा कर बेच दी जाएगी।

(7) नीलाम–खरीद की पूरी रकम, जिस दिन संपत्ति नीलाम की जाय उसके 15वें (पन्द्रवें) दिन, सर्टिफिकेट अफसर का कार्यालय बंद होने के पहले चुका दी जाएगी। नीलाम का दिन इस अवधि में शामिल नही है। यदि पन्द्रहवॉ दिन रविवार या अन्य छुट्टी का दिन हो तो 15वें दिन के बाद जिस दिन कार्यालय खुले उस दिन रकम जमा की जाएगी।

(8) खरीद–धन की बची रकम यदि अनुमत समय के भीतर, जमा न की जाए तो नीलाम की संपत्ति एक नई अधिसूचना निकाल कर संपत्ति फिर से नीलाम की जाएगी। नीलाम–खर्च काट लेने के बाद जमा रकम, यदि सर्टिफिकेट अफसर उचित समझे तो, सरकार के नाम जब्त हो जाएगी और संपत्ति पर या जिस रकम पर बाद में संपत्ति नीलाम हो, उसके किसी अंश पर बाकीदार खरीददार का कोई दावा न रहेगा।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर से आज तारीख 18.12.2019 की यह उद्घोषणा जारी हुई।

18/12/19

सर्टिफिकेट अफसर,
–सह–
अनुमंडल पदाधिकारी,
मसौढ़ी (पटना)।

संपत्ति की अनुसूची

लाट की संख्या	नीलाम की जानेवाली संपत्ति का विवरण और जहॉ एक से अधिक सर्टिफिकेट देनदार हो वहॉ हरेक स्वामी का नाम	यदि नीलाम की जानेवाली संपत्ति सरकार को राजस्व चुकाने वाले किसी इस्टेट या इस्टेट के किसी भाग का हित हो तो, उस इस्टेट या इस्टेट के भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर का पेश किया गया दावा तथा संपत्ति के स्वरूप और मूल्य संबंधी अन्य विवरण हो।
12	श्री सुनील कुमार, पिता–स्व0 रंगबहादुर सिंह, प्रो0 दूर्गा राईस मिल, किश्तीपुर, धनरूआ।	निर्धारित लगान एवं बकाया लगान देय होगी।	प्रश्नगत् भूमि वर्तमान में कृषि योग्य है।

Scanned by CamScanner